95

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1107-चार/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-7-2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक-744/अपील/2007-08.

.....

1. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री भागवत प्रसाद द्विवेदी
2. भागवत प्रसाद द्विवेदी तनय श्री वासुदेव राम द्विवेदी
निवासीगण ग्राम मायापुर तहसील सिंहावल
जिला सीधी म.प्र.

-----आवेदकगण

विरूद्ध

रामजी तनय श्री रामानुग्रह द्विवेदी
निवासी ग्राम डिहुली खास (मन्दपुर)
थाना अमिलिया, हाल निवास ग्राम मायापुर
तहसील तहसील सिंहावल जिला सीधी म0प्र0

-----अनावेदक

.....

श्री ब्रजेन्द्र सिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 9/3/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 28-7-2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगणों द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 89 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार रक्वा सुधार किये जाने बावत प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 21-3-07 के द्वारा नक्शा सुधार के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध

अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास जिला सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 17-4-08 के द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 28-7-08 के द्वारा आवेदकगणों की अपील निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के जांच प्रतिवेदन के साथ संलग्न सुधार प्रस्ताव में अनावेदक का नाम अंकित है किन्तु उसे किसी प्रकार की कोई सूचना जारी नहीं की गई है और न ही उसे प्रकरण में पक्षकार बनाया है, जबकि वह हितबद्ध व्यक्ति था। इसी कारण अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आदेश 1 नियत 10 एवं जानकारी दिनांक से अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने विस्तार से विवेचना कर अनावेदक की अपील को स्वीकार कर तहसीलदार के अनुचित आदेश को निरस्त किया है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि हितबद्ध व्यक्ति को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये पारित आदेश पोषणीय नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी अपने आदेश में की गई है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये निष्कर्षों को उचित मानते हुये आवेदकों की अपील को निरस्त किया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 28-7-2008 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर